

एफ. नं. 6/04/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य कर विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 09.05.2024

सभी इच्छुक पक्ष

विषय: - अंतिम पीसीएन पद्धति - चीन पीआर, रूस और ताइवान से उत्पन्न या निर्यात होने वाले एसीटोनिट्राइल के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच।

- यह आरंभ अधिसूचना एफ. संख्या 6/04/2024-डीजीटीआर दिनांक 26.03.2024 का संदर्भ है, जिसके तहत आरंभ अधिसूचना में प्रस्तावित पीयूसी और पीसीएन पर सभी इच्छुक पक्षों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। इच्छुक पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप देने के लिए 29 अप्रैल 2024 को दोपहर 3:30 बजे एक बैठक आयोजित की गई थी। इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों के आलोक में, विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जैसा कि आरंभिक अधिसूचना में परिभाषित किया गया था। इसके अलावा, निष्पक्ष तुलना के लिए नीचे दी गई पीसीएन पद्धति को अपनाया जा सकता है।

एस.एन.	पीसीएन मानदंड	विवरण	पीसीएन कोड
1	एसीटोनिट्राइल की शुद्धता	99.9% शुद्धता	ए
		98% शुद्धता	बी
		कोई अन्य शुद्धता	सी

- सभी इच्छुक पक्षों को यह भी सूचित किया जाता है कि यह अंतिम पीसीएन अधिसूचना है। इसके अलावा, पीसीएन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा किसी भी संशोधन/टिप्पणी/तर्क पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, सभी इच्छुक पक्षों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त पीसीएन-पद्धति के अनुसार **24.05.2024 तक प्रश्नावली के उत्तर दाखिल** करें। चूंकि एंटी-डॉपिंग जांच समयबद्ध है, इसलिए प्राधिकारी द्वारा प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करने के लिए समय में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।
4. यह निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एसडी/-

राजीव कुमार सोनी

निदेशक (एफटी)

ईमेल: jd12-dgtr@gov.in